सं0 437/V-श0वि0–05–31(श0वि0)/2005

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास,
उत्तरांचल, देहरादून।

शहरी विकास अनुभागः देहरादून 15 सितम्बर, 2005

विषय : हरबर्टपुर से फतेहपुर बाईपास तक नहर को भूमिगत करना व सड़क निर्माण की योजना के संबंध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरबर्टपुर से फतेहपुर बाईपास तक नहर को भूमिगत करना व सड़क निर्माण की योजना को कार्यान्वित किये जाने हेतु रू0–34.69 लाख के आगणन के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0–34.34 लाख (रूपये चौंतीस लाख चौंतीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

2– उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग, उत्तरांचल को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3– उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से सक्षम औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

5– सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी के अधिशासी अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

6– स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेजरूल्स एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जायं, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त
में आहरण किया जायेगा।

8– सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत
शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण
नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेतार धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर
निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो
अथवा तीन किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत
की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।

9– आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा
स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन
आवश्यक होगा।

10– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित
किया जायेगा।

11– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मद्देनजर रखते हुए एक
लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करायें
समय पालन करना सुनिश्चित करें।

12– विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0 के
अधीक्षण अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल
निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही
कार्य किये जायेंगे।

13– निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया
जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

14– कार्य पूर्ण होने पर इसी वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति
विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया
जाये।

15– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर लिया
जायेगा।

16– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक के अनुदान
सं0–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों
समेकित विकास–आयोजनागत 191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास
प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03 नगरों का समेकित विकास
–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा

17– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0सं0 1483/वित्त अनुभाग-3/2005, दिनांक
सितम्बर ,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

सं0 437(1)/V-श0वि0–05,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।

2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल ।

3– निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी।

4– जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून ।

5– अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून।

6– वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,बजट अनुभाग,उत्तरांचल शासन।

7– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

8– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुब्रत बिस्वास)

अपर सचिव।